

**WITHDRAWAL OF GOVERNMENT DIRECTOR
IN THE BURDWAN-CUTWA RAILWAY
COMPANY**

*773. SHRI P. VISWAMBHARAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Railway Board has withdrawn the Government Director in the Burdwan-Cutwa Railway Co. and, if so, when and the reasons therefor; and

(b) whether the approval from his Ministry, Finance Ministry and the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs was obtained before withdrawing the Government Director ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON): (a) and (b). Yes Sir; from 20-7-1969; the Burdwan-Katwa Railway owned and worked by the Burdwan-Cutwa Railway Company Limited was purchased by the Government with effect from 1-4-1966. Thereafter, the Government had no interest in the working of the Company and hence the Government nominee on the Board was withdrawn. The Railway Board constitute the Railway Ministry. The Company Law Board (Ministry of Industrial Development, Internal Trade & Company Affairs) was consulted before withdrawing the Director.

**मैसर्स सिन्धेटिक एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
की आय सम्बन्धी जांच**

*774. श्री बेबेन सेन: क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स सिन्धेटिक एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा, जिसके पास फायरस्टोन टायर की बिक्री एजेंसी को, एक वर्ष में दो लाख रुपये अर्जित किये जाने के मामले में और जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोई लाभ अर्जित न किये जाने के मामलों पर हाल ही में संसद् में चर्चा हुई थी;

(ख) क्या यह सच है कि 7 नवम्बर, 1969 को बम्बई उच्च न्यायालय ने इस फर्म को इस आय के संबंध में उपर्युक्त फर्म के विरुद्ध निर्णय दिया था ;

(ग) यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, ताकि जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के प्रति न्याय किया जा सके; और

(घ) क्या सरकार इस फर्म के स्वामी किला चन्द (तुलसी दास) सारथ-समूह को फर्मों के कार्य संचालन के बारे में जांच करेगी; और यदि हां, तो कब ?

; औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान् । लोक सभा में, 28-4-1969 को चर्चा, मैसर्स सिन्धेटिवस एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के एक मात्र विक्रेता अभिवर्ता के पद पर, मैसर्स विलाचन्द देवीचन्द एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की नियुक्ति के सम्बन्ध में थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी, तथा जीवन बीमा निगम ने, ट्रिस्टों के रूप में नियोजन किया था ।

(ख) बम्बई उच्च न्यायालय का दिनांक 7-11-69 का आदेश, बाद की अन्तिम सुनवाई एवं नियतन के अधिणीत होने तक, एक अन्तः कालीन निषेधाज्ञा है ।

(ग) एक-मात्र विक्रेता समझौता तथा, बम्बई उच्च-न्यायालय को आदेश, सरकार के परीक्षान्तर्गत है ।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**WELFARE OF DEAF, DUMB AND BLIND
BOYS**

*775. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the total number of deaf, dumb and blind boys in the country at present, State-wise;

(b) the total amount of money spent during the last three years for their welfare; and